

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-422/11
संस्थापित दिनांक-14.09.2011
filling number 235103001642011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- वीरेन्द्र पाल पुत्र हमीर पाल उम्र 38 साल 2- हमीर पाल पुत्र रज्जू पाल उम्र 70 साल 3- रूपसिंह पुत्र हमीर पाल उम्र 36 साल निवासीगण- ग्राम निदानपुर चंदेरी जिला अशोकनगरआरोपीगण
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 20.03.2017 को घोषित)

01. आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323/34, 190 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 13.08.2011 को समय शाम 6:00 बजे स्थान वीरेन्द्र पाल के मकान के सामने रास्ते में ग्राम निदानपुर लोकस्थल में आपने फरियादी संतोष को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया। उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी संतोष के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा लोकसेवक से संरक्षा हेतु आवेदन करने से विरत रहने के लिये जान से मारने की धमकी दी।

02. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 20.03.2017 फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण **वीरेन्द्र, हमीर पाल, रूपसिंह** को भा.द.वि की धारा 294, 323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03. अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी संतोष पाल ने अपने चाचा मंगल पाल के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनांक 13.08.2011 को शाम 6 बजे की बात है वह अपने खेत से घर आ रहा था जैसे ही वह रूपसिंह पाल के मकान के सामने रास्ते पर पहुँचा तो रूपसिंह व वीरेन्द्र मिले और उसका रास्ता रोककर पुरानी रंजिश पर से मां बहन की बुरी-बुरी गालियां

देने लगे, जब उसने गाली देने से मना किया तो रूप सिंह जो हाथ में लाठी लिये था मारी जो उसके सामने सिर में लगी खून निकल आया, इतने में हमीर सिंह पाल भी आ गया उसने संतोष को जमीन पर पटक दिया और तीनों ने लात घूसो से उसकी मारपीट की व वीरेन्द्र ने उसकी पीठ में लाठी मारी मुंदी चोट आयी, वह चिल्लाया तो मौके पर आशाराम पाल, उधम आदिवासी आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया व तीनों लोगों ने ते समय मां बहन की बुरी बुरी गालियां देकर कहा कि अगर रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगे। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि:-

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 13.08.2011 को समय शाम 6:00 बजे स्थान वीरेन्द्र पाल के मकान के सामने रास्ते में ग्राम निदानपुर लोकस्थल में फरियादी संतोष को लोक सेवक से संरक्षा हेतु आवेदन करने से विरत रहने के लिये जान से मारने की धमकी दी ?
----	---

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी संतोष अ0सा0 01 द्वारा अपने कथन में व्यक्त किया गया कि वह अभियुक्तगण को जानता है। घटना करीब 4-5 साल पहले की होकर शाम के समय की है। उसका आरोपीगण से मामूली वाद विवाद हो गया था इसके अलावा और कोई घटना नहीं हुई थी। उक्त घटना के समय उसके द्वारा थाना चंदेरी में प्र.पी. 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी चोटों का इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ था। उक्त चोट उसे धक्का मुक्की में गिरने से आई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा फरियादी संतोष अ0सा01 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण ने उसे यह धमकी दी थी कि यदि रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर देगे। साक्षी

को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 का बी से बी एवं पुलिस कथन प्र.पी.2 का ए से ए भाग का कथन पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट एवं कथन पुलिस को लेखबद्ध न कराना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि आरोपीगण से उसका स्वेच्छया राजीनामा हो गया है तथा अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया है कि राजीनामा हो जाने के कारण आरोपीगण को बचाने के लिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

08— इस प्रकार प्रकरण के फरियादी/आहत संतोष अ0सा01 ने अभियोजन घटना का लेसमत्र भी समर्थन नहीं किया एवं प्रकरण में किसी भी प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय साक्ष्य के आभाव में अभियोजन यह सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण **वीरेन्द्र, हमीर पाल, रूपसिंह** दिनांक 13.08.2011 को समय शाम 6:00 बजे स्थान वीरेन्द्र पाल के मकान के सामने रास्ते में ग्राम निदानपुर लोकस्थल में आपने फरियादी संतोष को लोकसेवक से संरक्षा हेतु आवेदन करने से विरत रहने के लिये जान से मारने की धमकी दी।

09— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 190 भादसं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

11— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

12— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

